the view that it would be most appropriate if the amendment to the State Laws is left to the J & K State Assembly. However, it may be mentioned that except for the Constitutional status of permanent residents of the State, there is no bar on West Pakistan refugees on running an industry, plying of transport, obtaining commercial loans and setting up self-employment units.

शैक्षिक सुधारों के सम्बन्ध में रिपोर्ट

349. **श्रीमती सुषमा स्वराज**:

श्री राम जेठमलानी:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच हैं कि गत अर्ध दशक के दौरान शिक्षा संबंधी सुधारों से संबंधित लगभग 17 रिपोर्टें सरकार द्वारा गठित विभिन्न समितियों/आयोगों द्वारा सरकार को सौंपी गई हैं;

(ख) कितनी समितियां/आयोग सरकार द्वारा गठित किए गए हैं और कितनों ने अपनी रिपोर्टें सरकार को सौंप दी हैं;

(ग) क्या सरकार ने रिपोर्टों की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए कोई योजना तैयार की हैं;

(घ) यदि हां,तो कितनी रिपोर्टों की किन-किन सिफारिशों को स्वीकार कर उन्हें क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया हैं;और

(ड़) इस प्रयोजन के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई एंव उसका कितना प्रतिशत निर्धारित अवधि में व्यय किया जा सका ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री) (कुमारी शैलजा): (क) से(घ) 1990-95 के दौरान शैक्षिक नीतियों और कार्यक्रमों के सम्बन्ध में विभिन्न पहलुओं में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा नई समितियां/आयोग स्थापित किए गए हैं । इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिसमें शिक्षा के संपूर्ण परिप्रेक्ष्य को शामिल किया किया गया हैं,वह हैं आचार्य राम मूर्ति की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति समीक्षा समिति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा,जिसकी रिपोर्ट 9 जुलाई,1991 को संसद में रख दी गई थी । इस रिपोर्ट पर श्री जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की नीति सम्बन्धी समिति द्वारा आगे विचार किया गया जिसने अपनी रिपोर्ट 22 जनवरी,1992 को प्रस्तुत कर दी थी । इन रिपोर्टो पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड द्वारा विचार किया गया जिसने मोटे तौर पर नीति के साथ सहमति व्यक्त करते हुए कुछ संशोधनों की सिफारिश की थी । तदनुसार,संशोधित नीति गत सूत्रों को 7 मई,1992 को सदन के सभा पटल पर रख दिया गया । इसके अलावा,संशोधित कार्ययोजना,1992 को भी 19 अगस्त,1992 को सदन के सभा पटल पर रख दिया गया था ।

(ड़) शिक्षा के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा शुरू किए गए बड़े कार्यक्रमों के लिए किए गए वित्तीय नियतनों का ब्यौरा विभाग के कार्य बजटों और वार्षिक रिपोर्टो में दिया गया हैं ।

यशपाल समिति की सिफारिशें

350. **श्री दिलीप सिंह जूदेव**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि:

(क) बच्चों के ऊपर स्कूली बस्ते का बोझ कम करने हेतु गठित यशपाल समिति की सिफारिशों को अब तक किन-किन राज्यों द्वारा स्वीकार किया गया हैं;

(ख) सरकार द्वारा बच्चों के ऊपर पाठ्यक्रमों का मानसिक एंव भौतिक भार कम करने के लिए राज्य सरकारों को क्या-क्या सुझाव दिये गए हैं तथा स्वयं केन्द्रीय सरकार के अधीन विद्यालयों में किन-किन सिफारिशों को लागू किया गया हैं;

(ग) उक्त समिति की सिफारिशों को लागू करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या एंव किस तरह की मदद किये जाने का विचार हैं;और

(घ) इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस तरह की मदद मांगी गई हैं और इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री)(डा.कृपासिंधु भोई): (क) से (घ) यशपाल समिति ने स्कूल के बच्चों के स्कूली बस्ते के बोझ में कमी लाने के सम्बन्ध में कई सिफारिशें की हैं । इन पर विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों

और राष्ट्रीय स्तर के संगठनों जैसे,राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद,केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,केन्द्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति द्वारा विचार किया जा रहा हैं ।

यशपाल समिति की रिपोर्ट राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को विचार करने तथा कार्यान्वित करने के लिए भेज दी गई हैं। इसके कार्यान्वयन की मानीटरिंग करने तथा आवश्यक शैक्षिक और तकनीकी सहायता देने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति राज्यों के साथ सम्पर्क में हैं ।

सहायता के लिए मध्य प्रदेश सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ हैं ।

Cost of Pacemakers

351. SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to -state:

(a) whether implantation of Pace-Maker costs anything between Rs. 1.5 lakh and Rs. 50,000/- depending on the type and quality of pacemaker required and the follow-up treatment, even in a Government Hospital or Institute;

(b) whether CGHS beneficiaries, including Members of Parliament and Central Government officers, are not reimbursed more than Rs. 26,000 for the pacemaker, whatever be its actual competitive cost;

(c) if so, the reasons for this disparity in cost and the reimbursement; and

(d) whether Government propose to revise this decision to bring the reimbursement to the full or at least to a realistic level?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI A.R. ANTULAY): (a) The cost of implantation of Pacemaker varies from case to case depending upon the type and degree of heart block. No cost range can be categorically specified.

(b) to (d) At present the upper limit for re-imbursement of the cost of pace-makers to CGHS beneficiaries is Rs. 26,000/-. However, the proposal for revision of the rates of pace-maker is under consideration.

Modernisation of Railway Stations in and around Mumbai

352. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have decided to upgrade and modernise a number of railway stations in and around Mumbai in the state of Maharashtra;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what additional facilities are likely to be provided to the rail users at these stations?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SURESH KALMADI): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Details of major works in progress (costing more than Rs. 15 lakh ;ach) are as under:

(Figures in lakh of Rupees)

Station	Details of facilities	Cost
ANDHERI	Replacement of north foot-over-bridge Rebuilding of	276.91
	station building	67.32
BANDRA	Additional foot-over-bridge '	43.60
BHANDUP	Widening of existing foot-over-bridge	28.27